फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बायतु (बाड़मेर) मुकाम बायतु

लाधूखां वगैरा बनाम धुडाखां वगैरा

किस्म मुकदमा धारा 212 अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1955 नं. 299/21 सन 2021

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
28/09/21	प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री रिणछाराम सियाग द्वारा यह प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी को अन्तरिम आदेश हेतु उनकी एकपक्षीय बहस को न्यायहित में सुना गया। पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्यनन किय गया। प्रार्थीगण की सयुंक्त खातेदारी की भूमि ग्राम जोंगूओं की ढाणी पटवार मण्डल कुम्पलिया तहसील गिड़ा में आई हुई है। प्रार्थीगण के अनुसार विप्रार्थीगण प्रार्थी की भूमि में निर्माण करने एवं दखलअन्दाजी करने व अजनबी व्यक्तियों को बेचान करने पर आमदा है और यदि ऐसा हो गया तो वाद बहुलता बढ़ेगी। प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति एवं प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष का बनना प्रतीत होता है अतः विप्रार्थीगण को आगामी पेशी तारीख 29/11/2021 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित आराजी मौजा जोंगूओं की ढाणी पटवार मण्डल कुम्पलिया तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 894 रकबा 51.6620 हेक्टयर की भूमि में विप्रार्थीगण किसी प्रकार बेचान, रहन व हस्तातंरण नहीं करें तथा न ही उक्त वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार का कोई कच्चा पक्का निर्माण कार्य और न ही जबरन बेदखल करें तथा मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। इसी माफिक उभय पक्षकारन् पाबन्द करे। विप्रार्थीगणों को स्थगन नोटिस जारी होकर मिसल वास्ते जवाब दिनांक 29/11/2021 को पेश हों। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
29/11/2021	प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस तामिल नाकिल उपरांत। कोई उपस्थित नहीं। उपस्थित गवाहों के संख्या अनुमान-2021 केसों में व्यस्त होने के कारण इतना भारी प्रार्थना रिस्पांस 10/01/2022 को पेश हो।	

10/01/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस तामील मरम्म तामील अप्राप्त। प्रार्थी उकाराम पुत्र घूणाराम उम्र-36 वर्ष जाति-माली सिंचारी-मालियों की ढाणी (नेवाई) तहसील-पचपदरा जिला-बाड़मेर की ओर से जरिये शपथपत्र श्री धनाराम सारण हाल प्रार्थना-पत्र आदेश-1 नियम-10 cpc पेश किया गया जिसकी प्रति प्रार्थी शपथपत्र के ई जाहर शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी शपथपत्र द्वारा किया मूल पर Not press कर दिया गया है। इसलिए स्थगन आवेदन का कोई औचित्य नहीं रहता है। अतः स्थगन आवेदन को खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर उसे नम्बर से उम्र से दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु